न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 38/17 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2017/00260

उनवान

1. रूकमणी } पुत्रीयान गैंदा जाति जाटव निवासी तेज नगर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. मछला }

.....अपीलांट।

बनाम

1. कमला देवी वेवा पुरूषोत्तम
2. अजय पुत्र पुरूषोत्तम
3. अनूप कुमारी पुत्री पुरूषोत्तम
4. अर्जुन पुत्र सामरे
5. सवोडा पत्नी सामरे
6. सम्पत्ति पत्नी रोहितास

} जाति जाटव नि0 तेजनगर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

7. रामादेवी पत्नी हरी सिंह जाति जाटव निवासी श्रीनगर रूध तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....असल रेस्पोंडेंट।

8. भोगीराम पुत्र सुम्मेरा } जाति जाटव निवासी तेजनगर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
9. प्रेमवती पत्नी धर्म सिंह }

.....असल रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 13.10.17 उनवानी भोगीराम बनाम कमला देवी मु0न0 36/13

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री गंगाराम शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सुभाष सिंह चाहर अनुपस्थित।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक :– 19.06.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 13.10.17 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 ने मूल दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 121 रकवा 05–03 बीघा प्रार्थी अपीलाण्ट के पूर्वजो की छोडी हुयी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। उक्त विवादित आराजी संवत 2009 से 2012 तक व उसके बाद बदस्तूर वादीगण के पूर्वजो गैंदा व सुम्मेरा का कब्जा काश्त रहा है। संवत 2012 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होते समय विवादित आराजी पर कब्जा काश्त सामरे व गैंदा का था। विवादित आराजी पर खातेदार ग्यासी पुत्र धनीराम लाबल्द बिला औरत था उसकी आयु जराफूल थी। उसकी जमीन पर उसके जीवनकाल से ही उसके भाई धनसुखी के पुत्रगण सुम्मेरी, सामरे, गैंदा व भजौरी का कब्जा काश्त हो गया था। उसके बाद ग्यासी का देहान्त हो गया। ग्यासी, धनसुखी का भाई तथा सुम्मेरी गैंदा सामरे भजोरी का चाचा था। मृत्यु पश्चात विवादित आराजी का नामान्तकरण ग्राम पंचायत रूंध रूपवास द्वारा दिनांक 02.04.1963 दर्ज होने के बाद दिनांक 07.04.1963 को तस्दीक हुआ। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण अपीलाण्ट के पिता सुम्मेरी वगै0 अप्रार्थी रैस्पो0 के पिता सामरे व प्रार्थी भजौरी शिकमी व गैर मौरूसी राजस्व रिकार्ड होने के कारण उक्त आराजी के शिकमी काश्तकार के मुताबिक गैर खातेदार ही बने रहे। उनका कब्जा एडवर्स पजेशन के आधार पर संवत 2015 की जमाबन्दी में अंकित है। इसी प्रकार प्रार्थीगण के पूर्वजो गैर मौरूसी माना गया लेकिन संवत 2019 में गैर मौरोसी इन्द्राज के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज कर दिया। संवत 2024 में गैर खातेदार दर्ज होने पर प्रार्थी के पूर्वज सुम्मेरी गैदा व असल अप्रार्थी के पूर्वज सामरे भजोरी को दिनांक 10.04.1975 को नामान्तकरण संख्या 529 के अनुसार खातेदारी का इन्द्राज अमल दरामद किया गया। इस प्रकार उक्त आराजी पर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज व अप्रार्थी के पूर्वज सामरे भजोरी को खातेदारी कब्जा मुताबिक प्राप्त हुयी। दिनांक 07.11.2012 को अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी रैस्पो0 ने गलत तरीके से एक पक्षीय कार्यवाही करवाकर नामान्तकरण संख्या 08 को निरस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड से प्रार्थीगण अपीलाण्ट का नाम कलमजन करा दिया। सामरे करीब 85 साल का फौत हुआ उसने अपने जीवनकाल में किसी प्रकार का कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया एवं उसकी बल्दीयत भी धनसुखी है। धनसुखी का विरासत का नामान्तकरण संख्या 536 खसरा नम्बर 79 रकवा 10 विस्वा भी चारो पुत्रो के नाम खोला गया जिसमें सामरे स्पष्ट रूप से धनसुखी का लडका है। इस प्रकार फर्जकारी से गलत सजरा प्रस्तुत कर समस्त कार्यवाहियॉ की गयी हैं। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर अप्रार्थी वर्तमान में विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमदा हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार बार आवाज दिलवाये जाने पर भी ना तो अभिभाषक रैस्पो0 एवं ना ही स्वयं रैस्पो0 उपस्थित आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं प्रार्थना पत्र संख्या 20/15 अर्जुन बनाम योगेन्द्र में विवादित आराजी पर अर्जुन का कब्जा काश्त नहीं माना है एवं अर्जुन का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। नामान्तकरण संख्या 536 में सामरे को धनसुखी का पुत्र माना। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। विवादित आराजी बाबत् पक्षकारो के अधिकार मूल वाद में तय होगें, तब तक विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु स्थगन दिया जाना न्यायोचित है। अर्जुन की बहन ने जो हक त्याग किया है उसमें भी सामरे का पिता धनसुखी का होना अंकित है। आपराधिक मुकदमे भी विचाराधीन है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में साबित होती हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान ना देते हुये, प्रार्थी अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारित कर दिया। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट की प्रमुखता से यह आपत्ति रही है कि रैस्पो0 ने फर्जकारी कर विवादित आराजी को अपने नाम दर्ज करा लिया। स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र संख्या 20/15 अर्जुन बनाम योगेन्द्र में विवादित आराजी पर अर्जुन का कब्जा काश्त नहीं माना है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। नामान्तकरण संख्या 536 में सामरे, धनसुखी का पुत्र दर्ज है एवं इसी प्रकार अर्जुन की बहनो ने जो हक त्याग किया है उसमें सामरे का पिता धनसुखी अंकित है। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों की ओर गौर ना करते हुये, अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। हम पाते हैं प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट के कथन सारपूर्ण नजर आते हैं। अपील पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र संख्या 20/15 अर्जुन बनाम योगेन्द्र में अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी पर अर्जुन का कब्जा काश्त नहीं माना है। दौराने बहस अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा उठायी गयी आपत्तियॉ भी तर्कसंगत है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों बाबत् अपीलाधीन आदेश में कोई विवेचना नहीं की जाकर अपीलाधीन आदेश में मात्र यह अंकित किया है कि "विवादित आराजी से संबंधित रिकार्ड में जो परिवर्तन हुआ वह न्यायालय आदेश द्वारा हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही हैं" इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अति सूक्ष्म है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो महत्वपूर्ण बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति बाबत् कोई विवेचना नहीं की गयी है। इस प्रकार का निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 13.10.2017 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पुनः उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, विधिसम्मत एवं बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.07.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर